(67)

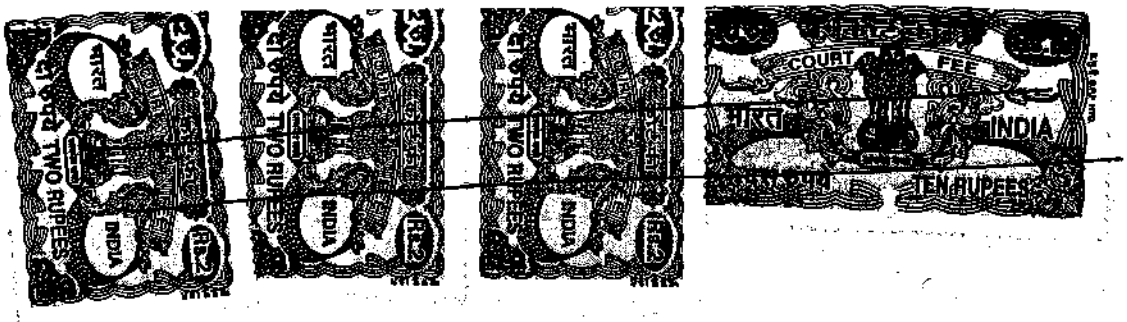

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक |२०१४ पुनराविलोकन (रिव्यू) -3532-III/15

कैलाश पुत्र सरजूप्रसाद,
निवासी- पिछोर, तेहसील-पिछोर,
जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रार्थी

श्री एस० के० ...., अभि० द्वारा आज दि. 9-10-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9/10/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुध्द

श्रीमती सूरजमुखी पत्नी रामसनेही शर्मा,
निवासी- पुराना चुंगीनाका, झांसीरोड,
पिछोर, तेहसील पिछोर, जिला शिवपुरी-म०प्र०।

------ प्रतिप्रार्थी

9/10/14

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र विरुध्द आदेश (पीठासीन अधिकारी माननीय श्री अशोक शिवहरे, सदस्य, राजस्व मण्डल) दिनांक २५-८-१४ अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्रमांक ४३६१-तीन।२०१३ निगरानी ।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख पर प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, प्रार्थी की ओर से इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण में लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें की गई आपत्तियों में से कुछ का उल्लेख भी विवादित आदेश के पद-४ में किया गया है, किन्तु सद्दवन इन आपत्तियों पर न तो विचार ही किया गया है और न उनका निराकरण ही किया गया है । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने

विशेष 3432-ए/14 जिला शिवपुरी

23.2.16	आवेदक की ओर से श्री रवि के वाजपेयी अधिवक्ता। अनावेदक के विचार-कर्ता की ओर से श्री सुनील गारौल अति. अधिवक्ता। उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा बताया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। प्रकरण को राजीनामा के आधार पर इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावे। उभय पक्ष अभिभाषक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आपसी राजीनामे के आधार पर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	दर्ज Posted 1/3/16